# कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / Q-1 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांकः 23/01/2026

**प्रवेश वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की संयुक्त काउंसिलिंग प्रकिया प्रारंभ किये जाने संबंधी सूचना**

प्रवेश वर्ष 2025 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी. / एम.एस.) पाठ्यक्रम के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में अखिल भारतीय कोटे की दो चरणों की काउंसिलिंग समपन्न हो चुकी है एवं सीट त्याग करने की समयावधि भी दिनांक 22.01.2026 को पूर्ण हो चुकी है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा परामर्श समिति, भारत सरकार द्वारा जारी समय–सारिणी अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि को ध्यानगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रवेश वर्ष 2025 चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग संयुक्त रूप से की जावेगी साथ ही तृतीय चरण में ऑनलाईन आवेदन एवं अपग्रेड का विकल्प सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा। इसके अंतर्गत सभी नवीन पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन माध्यम से नवीन पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा पूर्व से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन संस्था चयन (चॉइस–फिलिंग) आमंत्रित किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पूर्व से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को इस चरण की काउंसिलिंग हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

अभ्यर्थी निम्न समय–सारणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। आवेदन करते समय छत्तीसगढ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 एवं संशोधन दिनांक 22 जनवरी 2026 **(विशेषकर आरक्षण / काउंसिलिंग प्रक्रिया / बॉण्ड / सीट परित्याग करने पर अर्थदण्ड इत्यादि)** का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें। जो की वेबसाइट *www.cgdme.in* में उपलब्ध है।

| क्र. | प्रक्रिया का विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | ऑनलाईन आवेदन शुल्क (Non Refundable) | 1. सभी श्रेणीयों के लिए राशि रू. 2,000 / – (रू. दो हजार मात्र)<br>2. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु रू. 10000 / – (रू. दस हजार मात्र) |
| 2 | * पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि - Security Deposit Money) | **देखें पंजीयन राशि तालिका** |
| 3 | ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि | दिनांक 23 जनवरी 2026 समय (Server Time) 12.00 Hrs. (12:00 Noon) से दिनांक 25 जनवरी 2026 समय (Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM) तक |
| 4 | च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking) | दिनांक 23 जनवरी 2026 समय (Server Time) 12.00 Hrs. (12:00 Noon) से दिनांक 26 जनवरी 2026 समय (Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM) तक |

क्रमश—2—

*** पंजीयन राशि** *(सुरक्षा निधि राशि)* :—

*यह राशि वापसी योग्य* **(Refundable)** *है, किन्तु इस चरण एवं आगामी किसी भी चरण में आवंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते है, तथा प्रवेश लेकर सीट त्यागते है तो, यह राशि राजसात* **(Forfeit)** *कर ली जायेगी।*

| पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) | | |
|---|---|---|
| श्रेणी | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटो हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) | निजी महाविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालय + शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) |
| UR | 25,000/— (रू. पच्चीस हजार मात्र) | 2,00,000/— (रू. दो लाख मात्र) |
| SC/ST/OBC | 12,500/— (रू. बाहर हजार पांच सौ मात्र) | 2,00,000/— (रू. दो लाख मात्र) |

**महत्वपूर्ण निर्देश :—**

1. प्रवेश नियम में संशोधन होने के कारण सभी पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि **पूर्व में किया गया संस्था चयन स्वतः शुन्य हो गये है, अर्थात संस्था चयन रिक्त हो गया है। अतः इस चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु संस्था चयन (Choice Filling) का पुनः किया जाना अनिवार्य है।** किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है; उन्हें केवल संस्था चयन पुनः करना होगा। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें इस चरण की काउंसिलिंग में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
2. यदि ऑन—लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके है, तब भी **ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते है तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Edit करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी ।**
3. ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि **(जैसे :— अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि)** होने पर आप अपात्र हो जाते है। अतः ऑनलाईन आवेदन की ***अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना , एक सुरक्षित प्रक्रिया है।***
4. शुल्क जमा हेतु Internet Banking / Debit Cards & Credit Card, Options are available, उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क और पंजीकरण राशि (सुरक्षा निधि राशि) का भुगतान उम्मीदवारों के स्वयं के बैंक खाते या उनके माता—पिता/अभिभावक के बैंक खाते के माध्यम से करें। साथ ही, किसी भी आकस्मिक स्थिति के मामले में उन्हें एक वैकल्पिक बैंक खाता नंबर भी उपलब्ध कराना होगा। यदि अभ्यर्थी नियमानुसार रिफण्ड के लिए पात्र है, तो उस जमाकर्ता खाते में ही पंजीयन राशि **(सुरक्षा निधि राशि)** का रिफण्ड किया जायेगा, जिस खाते से अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान किया गया है।

   प्राथमिक बैंक खाते के साथ—साथ वैकल्पिक बैंक खाते को भी सक्रिय मोड में रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी अपरिहार्य एवं तकनीकी कारणों से प्राथमिक बैंक खाते में रिफंड नहीं होता है, तो पंजीकरण पोर्टल पर उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक सक्रिय बैंक खाते में रिफंड किया जाएगा।
5. ऑनलाईन आवेदन के दौरान, सेवारत् अभ्यर्थियों के लिए सेवा प्रमाण—पत्र/बोनस अंक अपलोड करना अनिवार्य है।

क्रमशः—3—

6. यदि इस चरण काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय में सीट आवंटित होती है, और वे उस सीट पर प्रवेश नहीं लेते हैं या प्रवेश लेकर सीट त्याग देते हैं, तो उनकी जमा की गई पंजीयन शुल्क (सुरक्षा निधि राशि) राजसात (Forfeit) हो जाएगी।

7. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग,बोनस प्रतिशत इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आबंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

23/1/2026

अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.